TaxcodeIN | www.taxcode.in

के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।" ।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/94/2024-टीआरयू]

नितीश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 जिसे सा.का.नि. 777 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

No. 03/2024-Central Tax (Rate)

G.S.R. 399(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.674(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after the Schedule, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression 'pre-packaged and labelled'.".

TaxcodeIN | www.taxcode.in

TaxcodeIN | www.taxcode.in

2. This notification shall come into force from the 15th day of July, 2024.

[F. No. 190354/94/2024-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 18/2023-Central Tax (Rate) dated the 19th October, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 777(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

संख्या 03/2024-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 400(अ).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 677(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।" ।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/94/2024-टीआरयू]

नितीश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2023- एकीकृत कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 जिसे सा.का.नि. 778 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

TaxcodeIN | www.taxcode.in